न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला बैतूल (म0प्र0)

:: आदेश ::

क्रमांकः–29/अ–59/2017–18/ 244 बैतूल दिनांक 5/01/2018

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, पटवारी हल्का नंबर 66 रा. नि. मं. दुनावा तहसील मुलताई जिला बैतूल द्वारा नायब तहसीलदार मुलताई के समक्ष इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम पंचायत सिपावा द्वारा मौजा सिपावा स्थित खसरा नंबर 21/1 रकबा 1.275 हेक्टेयर, मद पहाड़ चट्टान खसरा नंबर 347 रकबा 0.085 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 355 रकबा 0.158 हेक्टेयर भूमि मद घॉस को आबादी घोषित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। खसरा नंबर 355 पर पूर्व से तीन मकान बने हुए है, खसरा नंबर 347 मौके पर रिक्त है एवं खसरा नंबर 21/1 में एक मकान बना हुआ है।

2– हल्का पटवारी के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर नायब तहसीलदार मुलताई द्वारा मद परिवर्तन के लिए विधिवत् प्रकरण दर्ज करके आगामी कार्यवाही करते हुए, अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई के माध्यम से प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जिसके अनुसार वस्तुस्थिति निम्नानुसार हैः–

(1)– मौजा सिपावा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 21/1 रकबा 1.275 हेक्टेयर, खसरा नंबर 347 रकबा 0.085 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 355 रकबा 0.158 हेक्टेयर भूमि को आबादी घोषित किए जाने के संबंध में विधिवत् उद्घोषणा जारी करके आपत्त्ति आमंत्रित की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

(2)– वर्तमान राजस्व अभिलेख (खसरा) के अनुसार मौजा सिपावा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 21/1 रकबा 1.275 हेक्टेयर पहाड़ चट्टान मद में, तथा खसरा नंबर 347 रकबा 0.085 हेक्टेयर, खसरा नंबर 355 रकबा 0.158 हेक्टेयर भूमि घॉस मद में दर्ज है। अधिकार अभिलेख वर्ष 1972–73 के अनुसार उक्त खसरा नंबर 21 रकबा 1.615 हेक्टेयर पहाड़ चट्टान मद में एवं खसरा नंबर 347, 355 रकबा क्रमश' 0.085 हेक्टेयर व 0.158 हेक्टेयर घॉस मद में दर्ज है।

(3)– दिनांक 15–8–2016 को आयोजित ग्राम सभा में, ग्राम सिपावा में खल्ला रोड पर स्थित घॉस व चरनोई की भूमि को आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

(4)– मौजा सिपावा का मकबूजा रकबा 523.078 हेक्टेयर है, एवं ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा 27.746 हेक्टेयर है। ग्राम के मकबूजा रकबा के 2 प्रतिशत के मान से न्यूनतम 10.461 हेक्टेयर चरनोई का रकबा ग्राम में उपलब्ध रहना अनिवार्य है। वर्तमान में ग्राम में उपलब्ध चरनोई का रकबा न्यूनतम रक्षित रकबे से अधिक है, तथा आबादी घोषित करने के बाद भी न्यूनतम रक्षित रकबे से कम नहीं होगा।

(5)– नायब तहसीलदार मुलताई एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई द्वारा मौजा सिपावा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 21/1 रकबा 1.275 हेक्टेयर मद पहाड़ चट्टान, खसरा नंबर 347, 355 रकबा क्रमशः 0.085 हेक्टेयर एवं 0.158 हेक्टेयर मद घॉस की भूमि को आबादी घोषित करने की अनुशंसा की गई है।

3– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–237 (1) के अनुसार कलेक्टर दखलरहित भूमि को निस्तार के अधिकार के प्रयोग के लिए पृथक रख सकता है तथा धारा–237 (3) के अनुसार चारागाह, घॉस, बीड़ या चारे के लिए आरक्षित की भूमि को उस ग्राम की कुल कृषिक भूमि के न्यूनतम दो प्रतिशत तक सुरक्षित रखने के पश्चात् दखल रहित भूमि को आबादी,

सड़को, राजमार्गो, नहरो, तालाबो, अस्पतालो, विद्यालयो, महाविद्यालयो, गौशालाओ, के निर्माण या राज्य शासन द्वारा अन्य किसी जन उपयोगी परियोजनाओ के लिए व्यवपर्तित किया जा सकता है। कलेक्टर बैतूल द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश क्रमांक– 1/2011/अधी./10842, दिनांक 8–11–2016 तथा समसंख्यक आदेश क्रमांकः– 2489 दिनांक 25–2–2017 द्वारा मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की समस्त धाराओं के प्रकरणों का निराकरण करने के लिए अपर कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।

4– प्रकरण का समग्र अवलोकन किया, प्रतिवेदक अधिकारियो द्वारा ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर मौजा सिपावा स्थित पहाड़ चट्टान मद एवं घॉस मद की भूमि को आबादी घोषित करने की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। प्रकरण में संलग्न ग्राम पंचायत के आवेदन पत्र में केवल घॉस मद की भूमि को आबादी घोषित करने का अनुरोध किया गया है। दिनांक 15–8–2016 को ग्राम सभा में केवल घॉस व चरनोई मद की भूमि का आबादी घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ग्राम पंचायत के आवेदन पत्र एवं ग्राम सभा के प्रस्ताव में पहाड़ चट्टान मद की भूमि का उल्लेख नहीं है।ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत/ग्राम सभा के प्रस्ताव व अनापत्ति के आभाव में पहाड़ चट्टान मद की भूमि को आबादी घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– अतएव उपरोक्तानुसार वस्तुस्थिति व तथ्यो के आधार पर मौजा सिपावा प.ह.नं. 66 रा. नि. मं. दुनावा तहसील मुलताई स्थित खसरा नंबर 347, 355 रकबा क्रमशः 0.085 व 0.158 हेक्टेयर मद घॉस को इस शर्त के अधीन आबादी घोषित किया जाता है कि, उक्त भूमि का विधिवत् अभिन्यास बनाया जाकर, नियमानुसार पात्रता रखने वाले व्यक्तियो को आवासीय पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही की जाएगी।

(मूलचन्द वर्मा)
अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.

पृ0क्र0:–29/अ–59/2017–18/244 बैतूल दिनांक 5/01/2018

प्रतिलिपिः–

1– अनुविभागीय अधिकारी (रा0) मुलताई।

2– नायब तहसीलदार मुलताई।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। आदेशानुसार अभिलेख में यथा आवश्यक संशोधन करके, संशोधित अभिलेख की प्रति तत्काल प्रस्तुत करें।

3– जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी बैतूल की ओर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

4– जनसम्पर्क अधिकारी बैतूल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

5– सचिव ग्राम पंचायत सिपावा जनपद पंचायत मुलताई की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

अपर कलेक्टर
जिला–बैतूल.